

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगपुर

राजस्व लोक अदालत : न्याय आपके द्वार 2018 केम्प मु0 कांगणी

पीठासीन अधिकारी राजलक्ष्मी गहलोत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :-33/2017 रे.वाद

अन्तर्गत धारा :-53 आर.टी.एक्ट

अनवान

1. श्री बालु पिता भैरा जाट, निवासी आमली, तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

—वादी

बनाम

1. रामलाल पिता कालु जाट
2. रतनलाल पिता कालु जाट
3. सोहनलाल पिता कालु जाट,
4. शंकरलाल पिता कालु जाट
5. नारायण पिता कालु जाट
6. मु0 किशोरी बैवा कालु जाट  
सर्व निवासी रामरतन नगर (आमली) तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
7. बैंक मैनेजर, स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर एण्ड जयपुर शाखा आमली।
8. शाखा प्रबन्धक, भूमि विकास बैंक शाखा गंगपुर।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब सहाडा मु0गंगपुर जिला भीलवाडा

—प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक 29/06/2018

वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रामरतन नगर पटवार हल्का आमली तहसील सहाडा के बैरून हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के मध्य सामलाती आराजी संख्या 3820 रकबा 0.03है, 3821 रकबा 0.083है, कुल कित्ता 2 रकबा 0.86है. स्थित है। वादी संख्या का 1/2 हिस्सा निहित है। वादी एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्सेनुसार संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से कृषि लाभ लेने एवं आवासीय परिवर्तन कराने में परेशानी आती है हिस्से का विभाजन कराया जाकर स्वतंत्र खाता कायम करवाया जाए। प्रकरण विधिवत दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रकरण का विधिवत विचारण किया जाकर वादग्रस्त आराजियात को विभाजन योग्य पाया जाने से वाद प्रारम्भिक डिक्री किया गया आदेश तहसीलदार सहाडा को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने के आदेश प्रदान किया गया तहसीलदार सहाडा द्वारा विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्षों को सुना गया विभाजन प्रस्ताव पर किसी पक्षकार ने आपत्ति नहीं जताई लिहाजा वाद में प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किया जाना उचित एवं न्याय हित में है। अतः

—:आदेश:—


वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट बहकवादी विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तिम डिक्री किया जाता है और ग्राम रामरतन नगर पटवार हल्का आमली तहसील सहाडा के बेरुन हल्का आबादी की संयुक्त खातेदारी की आराजियात को खातेदारो में नियमानुसार विभाजन किया जाता है।

1. बालु पिता भैरा जाट सा. देह खातेदार  
आ0नं0 रकबा  
3821/1 0.41  
कुल किता 1 कुल 0.41 है.

2. रामलाल रतनलाल सोहनलाल शंकरलाल पिता कालु किशोरी बेवा कालु बाली देवी  
पत्नि नारायणलाल जाट सा. देह खातेदार  
आ0नं0 रकबा  
3821/2 0.42  
कुल किता 1 कुल 0.42 है.

3. पूर्ववत जमाबन्दी बदस्तुर (शामलाती रहेगा)  
आ0नं0 रकबा  
3820 0.03  
कुल किता 1 कुल 0.03 है.

अतः संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अनुसार राजस्व रेकार्ड में पक्षकारों के पृथक्-पृथक् खाते कायम किये जाने एवं नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व मानचित्र में तरमीम करने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना-अपना स्वयं वहन करें। अंतिम डिक्री जारी हो आदेश लिखवाया जाकर आज दिनांक 29.06.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापूर  
राजस्व लोक अदालत 2018 : न्याय आपके द्वार/केम्प कोर्ट ...  
पीठासीन अधिकारी- राजलक्ष्मी गहलोत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 33/2017 वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर0टी0एक्ट

शीर्षक

1. श्री बालु पिता भैरा जाट, निवासी आमली, तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

—वादी

बनाम

1. रामलाल पिता कालु जाट
2. रतनलाल पिता कालु जाट
3. सोहनलाल पिता कालु जाट,
4. शंकरलाल पिता कालु जाट
5. नारायण पिता कालु जाट
6. मु0 किशोरी बेवा कालु जाट  
सर्व निवासी रामरतन नगर (आमली) तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
7. बैंक मैनेजर, स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर एण्ड जयपुर शाखा आमली।
8. शाखा प्रबन्धक, भूमि विकास बैंक शाखा गंगापूर।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब सहाड़ा मु0गंगापूर जिला भीलवाड़ा

—प्रतिवादीगण

दिनांक: 29.06.2018

वाद में वर्णित कृषि भूमियों के लिये वाद अंतिम डिक्री किया जाता है। वादी और प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के मध्य संयुक्त खाते की भूमि का विभाजन निम्नानुसार किया जाता है।

1. बालु पिता भैरा जाट सा. देह खातेदार

आ0नं0

रकबा

3821/1

0.41

कुल किता 1

कुल 0.41 है.

2. रामलाल रतनलाल सोहनलाल शंकरलाल पिता कालु किशोरी बेवा कालु बाली देवी  
पत्नि नारायणलाल जाट सा. देह खातेदार

आ0नं0

रकबा

3821/2

0.42


कुल किता 1

कुल 0.42 है.




3. पूर्ववत जमाबन्दी बदस्तुर (शामलाती रहेगा)	
आ0नं0	रकबा
3820	0.03
कुल किता 1	कुल 0.03 है.

अतः संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अनुसार राजस्व रेकार्ड में पक्षकारों के पृथक्-पृथक् खाते कायम किये जाने एवं नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व मानचित्र में तरमीम करने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना-अपना स्वयं वहन करें। अंतिम डिक्री जारी हो।

  
(राजलक्ष्मी गहलोत)  
सहायक कलक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
गंगापुर , भीलवाड़ा(राज0)

डिक्री आज दिनांक 29.06.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

  
(राजलक्ष्मी गहलोत)  
सहायक कलक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
गंगापुर , भीलवाड़ा(राज0)